~~उपाध्यक्ष~~/आयुक्त/अध्यक्ष महोदय,

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.9.92 का कार्यवृत्त तैयार कर दिया गया है जो सम्मुख तरफ आपके अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

(प्रमांशु)
सचिव।

(डा0प्रभात कुमार)
उपाध्यक्ष।

11.11.9

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.9.92 में उपस्थित अधिका[रियों] की सूची:-

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री सुरजीत किशोर दास, आयुक्त/अध्यक्ष	
2.	श्री शिशिर प्रियदर्शी, जिलाधिकारी।	
3.	डा0 प्रभात कुमार, उपाध्यक्ष	
4.	मा० हरबन्श कपूर, रा०मन्त्री,	
5–	श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी, वं. सचिव आवास.	
–	श्री दीना नाथ सलूजा, अध्यक्ष, नगर पालिका, देहरादून	
–	श्री ओम सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी।	
–	श्री वृज बी० रतन, सहयुक्त नगर नियोजक,	
–	विनोद कुमार शर्मा प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र मित्तल	
–	मदन मोहन शर्मा प्रतिनिधि उप-सरकार (मसूरी)	
–	प्रमांशु, सचिव	
–	~~ब्रजबिहारी ... प्रतिनिधि ...~~	
–	ए.के. द्विवेदी, सहायक निदेशक पर्यटन, पर्यटन महानिदेशालय, दे.दून.	

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.9.92 में उपस्थित अधिका[illegible]
की सूची:-

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री सुरजीत किशोर दास, आयुक्त/अध्यक्ष	[signature]
2.	श्री शिशीर प्रियदर्शी, जिलाधिकारी।	[signature]
3.	डा० प्रभात कुमार, उपाध्यक्ष	[signature]
4.	मा० हरबन्श कपूर, रा० मन्त्री	[signature]
5—	श्री सुभाष चन्द्र बहुखन्डी, वि. सचिव आवास.	[signature]
—	श्री दीना नाथ सलूजा, अध्यक्ष, नगर पालिका, देहरादून	[signature]
—	श्री ओम सिंह, अध्यक्ष नगर पालिका, मसूरी।	[signature]
—	श्री वृज बी० रतन, सहायक नगर नियोजक, प्रतिनिधि	[signature]
—	विनोद कुमार शर्मा प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र मित्तल विधायक	[signature]
—	मदन मोहन शर्मा प्रतिनिधि उप-सरकार (मसूरी)	[signature]
—	प्रमांशु, सचिव	[signature]
	~~[illegible] प्रतिनिधि [illegible]~~	[signature]
—	ए. के. द्विवेदी, सहायक निदेशक पर्यटन, पर्यटन महानिदेशालय, दे.दू.	[signature]
	[illegible] [illegible]	[signature]
—	श्री राजेन्द्र सिंह, मा० उप मन्त्री उ० प्र०	[signature]

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.9.92 में सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति ।

1-	श्री एस0के0दास,आयुक्त,गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2-	डा0प्रभात कुमार,उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3-	श्री शिशिर प्रियदर्शी,जिलाधिकारी,देहरादून	सदस्य
4-	श्री एस0सी0बहुखण्डी संयुक्त सचिव आवास उ0प्र0	सदस्य
5-	श्री दीनानाथ सलूजा,अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून	सदस्य
6-	श्री जोत सिंह,अध्यक्ष,नगरपालिका,मसूरी	सदस्य
7-	श्री बी0बी0रतन,सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन देहरादून।	प्रतिनिधि सदस्य
8-	श्री ए0के0द्विवेदी,सहायक निदेशक,पर्यटन,उत्तरांचल,देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य
9-	श्री विनोद शर्मा,महामंत्री भा0ज0पा0,देहरादून,प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र मित्तल,अध्यक्ष,भा0ज0पा0 देहरादून	गैर सरकारी सदस्य
10-	श्री मदन मोहन शर्मा	गैर सरकारी,सदस्य

विशेष आमंत्री:-

1- श्री हरबंश कपूर,मा0राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन,उ0प्र0
2- श्री राजेन्द्र सिंह,मा0 उप मंत्री,सांस्कृतिक कार्यक्रम,उ0प्र0

अन्य उपस्थिति:-

1- श्री प्रमांशु,सचिव,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून
2- श्री रामपाल सिंह,अधिशासी अभियंता,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून
3- श्री मुकुल कुमार हटवाल,सहायक नगर नियोजक,म0दे0वि0प्रा0

(क) गत बैठक की कार्यवाही:-

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव,मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा गत बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी तथा सर्व-सम्मति से अनुमोदित की गयी। अनुमोदन स्वरूप अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) गत बैठक की अनुपालन आख्या:-

अवलोकनोपरान्त गत बैठक की अनुपालन आख्या इस संशोधन के साथ अनुमोदित की गयी कि विषय क्रमांक-15 (मै0 बल्लारपुर इण्ड्स्ट्रीज द्वारा गुनियाल गांव में प्रस्तावित हैल्थ फार्म के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में) के सम्बन्ध में प्राधिकरण की उक्त बैठक दिनांक 1.6.92 को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जा चुका है अतः तद्नुसार अनुपालन आख्या में संशोधन किया जाए।

(ग) दिनांक 29.9.92 को हुई बैठक की कार्यवाही:-

विषय क्रमांक:-1

तहसील परिसर तथा डिस्पैंसरी रोड़ स्थित डिस्ट्रिक्ट सेण्टर योजना के संबंध में।

तहसील परिसर में स्थित तहसील एवं जिला पूर्ति कार्यालय तथा डिस्पैंसरी रोड़ पर स्थित पशु चिकित्सालय को रिस्पना नदी के किनारे प्राधिकरण की भूमि पर स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को यद्यपि सर्व-सम्मति से सराहा गया फिर भी यह शंका व्यक्त की गयी कि उक्त दोनों परिसरों के बाहर स्थापित दुकानदार क्या डिस्ट्रिक्ट सेण्टर में दुकानें लेने के लिए तैयार होंगे? प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदत्त करते हुए अध्यक्ष द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने से पूर्व वहां के स्थानीय दुकानदारों से उपाध्यक्ष द्वारा वार्ता कर ली जाए एवं उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाए। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों भूमि के भूउपयोग को भी परिवर्तित कराने तथा जिस जगह उक्त कार्यालयों/डिस्पैंसरी का स्थानान्तरण प्रस्तावित है,के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में भी बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक:-2

गुच्चूपानी सौन्दर्यीकरण योजना के सम्बन्ध में।

क्रमश-----2/

पदमश्री श्री नेक चन्द के निर्देशन में गुच्चूपानी सौन्दर्यीकरण की प्रस्तावित इस योजना को सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रस्ताव उ0प्र0 सरकार के पर्यटन विभाग,उत्तरांचल विभाग तथा भारत सरकार के देहरादून में स्थित उपक्रमों यथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग,पी0पी0सी0एल0 को प्रस्ताव प्रेषित किए जाएं। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि गांधी पार्क के सौन्दर्यीकरण की योजना एवं प्रस्ताव आयुक्त एवं महानिदेशक,पर्यटन उत्तरांचल,देहरादून को तुरन्त प्रेषित किए जाए तांकि वहां से धनराशि का आवंटन उक्त पार्क के सौन्दर्यीकरण के लिए किया जा सके।

(कार्यवाही सचिव/अधिशासी अभियंता)

विषय क्रमांक:-3

किशनपुर आवासीय योजना के सम्बन्ध में।

सर्व-सम्मति से योजना को अनुमोदित किया गया। यह अवगत् कराया गया कि प्रश्नगत आवासीय योजना की भूमि नगरपालिका देहरादून के स्वामित्व में है जिसे प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुरोध अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून से पूर्व में किया जा चुका है। अध्यक्ष नगरपालिका देहरादून द्वारा उक्त भूमि को प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही सचिव/अधिशासी अभियंता)

विषय क्रमांक:-4

पैवेलियन बाजार (व्यावसायिक) काम्पलैक्स योजना के सम्बन्ध में।

यह अवगत् कराया गया कि उक्त स्थल पर इन्दिरा मार्केट के अर्न्तगत काफी दुकानदार अस्थाई रूप से कार्य करते हैं तथा गुजराती लोग भी कपड़े इत्यादि बचने का कार्य करते हैं। उक्त सभी को स्थाई रूप से दुकान आवंटित करने के उद्धेश्य से पैवेलियन बाजार व्यावसायिक काम्पलैक्स योजना का निर्माण प्रस्तावित है। योजना के बारे में ले-आऊट तथा विस्तृत विवरण सहित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। सर्व-सम्मति से योजना को अनुमोदित किया गया। सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून द्वारा धारा चौकी के सामने डि-कौनजेशन (De Congestion) करने हेतु प्रवेश मार्ग को चौड़ा करने के लिए भी कार्यवाही करने का सुझाव दिया। उक्त के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण अपने

विषय क्रमांक :- 7.

सचिव आवास किराये के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण बैठक दिनांक 18-09-91 के कार्यवृत्त विषय क्रमांक-2 पर सचिव को आवास सुविधा हेतु रू0 1500/= मासिक भवन किराया स्वीकृत हुआ था । यह महसूस किया गया कि देहरादून जैसे नगर में सचिव के पद के अनुरूप रू0 1500/= में आवास उपलब्ध हो पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जबकि नियमानुसार सचिव के वेतन से 10 प्रतिशत भवन किराया एवं सचिव को देय मकान किराया भत्ता की कुल कटौती लगभग रू0 700/= हो जाती है । यानि मात्र लगभग 800/= की ही आवास सुविधा सचिव को दी जा रही है ।

सचिव के पद पर उ0प्र0सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की शासन द्वारा नियुक्ति की जाती है, जो कि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं अथवा प्रतिष्ठानों में भी उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते रहते हैं, जहां पर उन्हे पद के अनुरूप आवास व्यवस्था उपलब्ध होती है । सचिव के पद के [illegible] देहरादून जैसे नगर में रू0 2500/= से 3000/= तक भवन किराये पर मिल रहे है । इसलिए प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव अनुमोदनार्थ [illegible] किया जा रहा है कि सचिव आवास हेतु कम से कम 2500/= रू0 स्वीकृत किया जाये ।

क्रमशः----34

[illegible] प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-9-92 में [illegible] में सर्व सम्मति से पारित हुआ है
प्रमाणित
[signature] [illegible]/92
[illegible]
[illegible]

स्तर से आवश्यक कार्यवाही करें।

चर्चा के दौरान अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून द्वारा यह सुझाव दिया गया कि रैंजर्स कालेज तथा परेड ग्राउण्ड के बीच कान्वेण्ट स्कूल मार्ग के एक किनारे पर जो तिब्बती मार्केट बना है,उसे हटाने के लिए कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध में सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त तिब्बती बाजार को कहीं अन्यत्र उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता)

विषय क्रमांक:-5

ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए अतिरिक्त भूमि को अधिग्रहण ।

सन् 2001 तक देहरादून नगर की यातायात आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के विस्तार हेतु उक्त अतिरिक्त 37.00 एकड भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक:-6

विकास कार्यों के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श हुआ तथा यह निर्णय लिया गया कि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत यद्यपि सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास होना आवश्यक है तथापि विकास कार्यो की प्राथमिकता का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया जाए।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक:-7

सचिव आवास किराए के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा सभी सदस्यों द्वारा यह मत भी व्यक्त किया गया कि प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष सचिव तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए किसी उपयुक्त स्थान पर आवास बनाए जाएं।

(कार्यवाही स0लें0अ0/अधिशासी अभियंता)

विषय क्रमांक:-8

मसूरी महायोजना के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष नगरपालिका मसूरी ने बताया कि मसूरी के लिए प्रस्तावित महायोजना अभी ड्राफ्ट स्तर पर है अतः इसकी विधिक Sanctity न होने के कारण इसको आधार मानकर मानचित्रों की स्वीकृति में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं जिनका निराकरण न हो पाने कारण मसूरी क्षेत्र में प्रस्तावित मानचित्रों को स्वीकृति नहीं मिल पा रही है जिससे मसूरी में जनाक्रोश बढ़ रहा है और विकास की प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न हो रही है अतः मसूरी क्षेत्र के लिए उक्त महायोजना को आधार न मानते हुए पूर्व की भांति मानचित्र स्वीकृत किए जाएं।

इस सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 द्वारा यह अवगत् कराया गया कि महायोजना ड्राफ्ट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.3.92 में अनुमोदित है अतः इसे विधिक रूप से महायोजना की संज्ञा न भी दी जाए तो तब भी उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अनुसार यह प्राधिकरण के निर्देशों के रूप में प्रचलित है अतः मसूरी क्षेत्र में मानचित्रों का निस्तारण प्राधिकरण के इन्हीं निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश ~~निश्चय~~ हुए है कि महायोजना प्रारूप को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 एक माह में महायोजना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई कर लें जिससे कि महायोजना प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा सके । उक्त सुनवाई हेतु गठित समिति में आवास विभाग उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाए।

(कार्यवाही सचिव/स0न0नि0)

विषय क्रमांक:-9

राजपुर रोड पर सैंट जोजफ अकादमी से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तक के मार्ग मध्य से 65 मीटर चौडे क्षेत्र के भूउपयोग के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आम राय यह थी कि चूंकि राजपुर रोड़ पर प्रश्नगत क्षेत्र में पहले से ही लगभग 80 प्रतिशत व्यावसायिक भवनों के निर्माण हो चुके हैं अतः अब पुनः उक्त स्थल का भूउपयोग आवासीय करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष नगरपालिका देहरादून द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राजपुर रोड़ देहरादून के लिए पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और यह पर्यटक नगरी

------6-

मसूरी का प्रवेश मार्ग भी है अतः इस मार्ग पर भविष्य के लिए व्यावसायिक इमारतों की अनुमति न दी जाए। सदस्यों द्वारा आम मत यह व्यक्त किया गया कि प्रश्नगत स्थल का भूउपयोग व्यावसायिक है अतः यहां पर व्यावसायिक निर्माणों को नियमानुसार प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सर्व-सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र में व्यावसायिक भवनों हेतु मानचित्रों को प्राधिकरण की बैठक में रखा जाए एवं उनकी स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए।

अध्यक्ष,नगरपालिका देहरादून द्वारा 57/19 राजपुर रोड़ पर शिवा पैलेस व्यावसायिक निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में अपना विरोध व्यक्त किया गया।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांकः-10

महायोजना की विसंगति के सम्बन्ध में।

समयाभाव के कारण उक्त विषय पर चर्चा न हो सकी अतः आगामी बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही का0अ0)

विषय क्रमांकः-11

मैं0 विजय लक्ष्मी इण्टरप्राईजेज तथा स्टेट बैंक इम्पालाईज सहाकारी आवास समिति लि0 के तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर समयाभाव के कारण चर्चा न हो सकी अतः आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

विषय क्रमांकः-12

गढ़वाल क्षेत्र के भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों एवं कश्मीर से विस्थापित शरणार्थियों को प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में भवन आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांकः-13

मैं0 अग्रवाल फिलिंग स्टेशन द्वारा ख0नं0-16 चक अजबपुरकलां हरिद्वार रोड़ पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के पेट्रोल पम्प की स्वीकृति विषयक।

समयाभाव के कारण चर्चा न हो सकी। आगामी बैठक में विषय पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही का0अ0)

क्रमश--------7-

विषय क्रमांकः-14

दूनघाटी कर्मचारी आवास सहकारी समिति लि0 देहरादून के तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से इस आधार पर अनुमोदित किया कि वास्तविक विकास व्यय की गारण्टी ले ली जाए।

(कार्यवाही सचिव/स0न0नि0)

विषय क्रमांकः-15

मैं0 आनन्द ट्रस्ट के ग्राम बंजारावाला स्थित स्कूल भवन मानचित्र विषयक।

समयाभाव के कारण चर्चा न हो सकी अतः प्रस्ताव को अगली बैठक में विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही का0अ0)

अनुपूरक विषय क्रमांकः-01

ग्राम कांवली में आवासीय योजना हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

समयाभाव के कारण उक्त प्रस्ताव पर विचार न हो सका अतः अगली बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही का0अ0)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(प्रमांशु) सचिव म0दे0वि0प्रा0	(डा0प्रभात कुमार) उपाध्यक्ष म0दे0वि0प्रा0	(एस0के0दास) आयुक्त/अध्यक्ष म0दे0वि0प्रा0

पुष्टि की गयी

आयुक्त/अ
4/3/0